

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

"स्थापना शाखा"

कार्यालय आवेद

श्रीमती प्रमिला कुमारी, सेवानिवृत्त परिचारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर रस्ती जिला वैशाली जो दिनांक 30.04.2028 को सेवा निवृत्त हो चुकी है, को प्रधानाध्यापक की अनुमति वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8889 दिनांक 24.12.1986 एवं संकल्प संख्या-1829 दिनांक 07.04.2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति तक सेवाकाल में अर्जित कुल 117 (एक सौ सत्रह) दिनों का अव्यवहृत अर्जितावकाश के समतुल्य वेतनादि भुगतान की स्वीकृत दी जाती है। भुगतेय राशि का विवरण निम्नवत् है:-

मूल वेतन -22,800.00

मंहगाई भत्ता (60 प्रतिशत)- 13,680.00

कुल भुगतेय राशि- $(22800+13680) \times 117 = 1,42,272.00$ (एक लाख बेयालीस हजार दो सौ बहतर रु०)

30

20/1
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, वैशाली।

ज्ञापांक 2450/10000 हाजीपुर दिनांक 16-6-26

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर/HRMS अन्तर्गत वेतन भुगतान शाखा कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली/ श्रीमती प्रमिला कुमारी, सेवानिवृत्त परिचारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर रस्ती जिला वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.6.26
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, वैशाली।
15.06.26